

लोक वित्त

राजकोषीय समेकन की योजना की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए, 2014-15 के बजट में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य स.घ.उ. का 4.1 प्रतिशत पर रखने तथा 2016-17 तक इसे घटाकर सघउ का 3 प्रतिशत करने की बात की गई थी। बावजूद इसके कि 2014-15 के उत्तरार्ध में मुख्यतः अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की अपेक्षाकृत कम कीमतों के कारण 2014-15 में सब्सिडी के बोझ में भारी कमी आई, फिर भी अप्रत्यक्ष करों में हुई मामूली वृद्धि और भारी सब्सिडी बिल के चलते राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को हासिल करना दुष्कर प्रतीत होता है। इस बात पर विचार करते हुए कि पूर्ववर्ती दो वर्षों में वांछित राजकोषीय लक्ष्य, राजस्व में आई कमी को व्यय में अधिक अथवा समतुल्य कटौती प्रतिसंतुलन से हासिल किए गए, इस वर्ष चुनौती यह थी कि सरकारी व्यय में कटौती किए बिना घाटे के लक्ष्य को प्राप्त किया जाए। अतः, जहां 2014-15 के बजट में राजकोषीय घाटा अंतरिम बजट के स्तर पर बरकरार रखा गया वहीं सरकार की सामाजिक और कल्याणकारी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने तथा विकास एजेंडा पर ध्यान केंद्रित रखने के लिए सरकार के उद्देश्यों के अनुरूप अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराए गए। यह उल्लेखनीय है कि सरकार चालू वर्ष के दौरान मुद्रास्फीति की कम दर के कारण मौजूदा बाजार मूल्यों पर स.घ.उ. की प्रत्याशित वृद्धि की तुलना में कम वृद्धि की संभावना होने के बावजूद राजकोषीय समेकन करने के लिए प्रतिबद्ध है। तथापि, यदि राजस्व संग्रहण की स्थिति में पर्याप्त वृद्धि नहीं होती तो व्यय में कुछ कमी करने पर बल देना होगा ताकि घाटे के संदर्भ में निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।

2.2 बजट 2014-15 में राजकोषीय घाटे को 2013-14 के अनंतिम वास्तविक आंकड़े में प्रदर्शित 508149 करोड़ रुपए (स.घ.उ. का 4.5 प्रतिशत) की तुलना में 531177 करोड़ रुपए (स.घ.उ.¹ का 4.1 प्रतिशत) रखने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। राजस्व घाटा 2014-15 (बजट अनुमान) में 378349 करोड़ रु. (स.घ.उ. का 2.9 प्रतिशत) निर्धारित किया गया था जबकि 2013-14 (अनंतिम वास्तविक) में यह आंकड़ा 360311 करोड़ रु. (स.घ.उ. का 3.2 प्रतिशत) था। प्रभावी राजस्व घाटा जो राजस्व घाटे का एक परिष्कृत रूप है और इसमें वर्तमान व्यय की तुलना में वर्तमान प्राप्ति में कमी प्रदर्शित होती है और यह राजस्व प्राप्ति तथा पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु दिए गए अनुदान का अंतर है, में भी कमी आने की आशा है (सारणी 2.1)

सारणी 2.1 : केन्द्र सरकार के राजस्व घाटे का रुझान (सघउ के प्रतिशत के रूप में)

	एफडी	आरडी	जीसीसी	ईआरडी	पीडी
2010-11	4.8	3.2	1.1	2.1	1.8
2011-12	5.7	4.4	1.5	2.9	2.7
2012-13	4.8	3.6	1.1	2.5	1.8
2013-14 पीए	4.5	3.2	1.1	2.0	1.2
2014-15 बीई	4.1	2.9	1.3	1.6	0.8

स्रोत : बजट प्रपत्र

टिप्पणी: एफडी= राजकोषीय घाटा, आरडी= राजस्व घाटा, जीसीसी= पूंजी आस्ति सृजित करने हेतु अनुदान, ईआरडी= प्रभावी राजस्व घाटा, पीडी= प्राथमिक घाटा बीई= बजट अनुमान, आरई= संशोधित अनुमान पीए= अनंतिम वास्तविक आंकड़ा


मौजूदा बाजार मूल्यों पर स.घ.उ. का अनुपात केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय के (राष्ट्रीय खाता 2004-05 शृंखला पर आधारित है।

¹ मौजूदा बाजार मूल्यों पर स.घ.उ. के संबंध में अनुपातों का परिकलन करने के लिए हमने केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी 2004-05 मूल्यों की राष्ट्रीय लेखा शृंखला का प्रयोग किया है।

2014-15 हेतु राजकोषीय नीति

2.3 2014-15 का बजट प्रस्तुत करते समय तत्समय उपलब्ध सूचना के अनुसार बृहत आर्थिक परिणाम मिश्रित थे। 2012-13 और 2013-14 के दो वर्षों में विकास दर सामान्य से कम थी, मुद्रास्फीति में धीरे-धीरे कमी आ रही थी जो कुल मांग पर दबाव और विशाल बाह्य क्षेत्रीय परिणाम का सूचक था। राजकोषीय नीति समेकन के मोड में थी और राजकोष्य घाटा पूर्व के मध्यावधिक राजकोषीय नीति कथन द्वारा परिकल्पित स्तर पर थी और इस कारण प्रति चक्रीय नहीं थी। 2014-15 के बजट में यह इंगित किया गया था कि तत्कालीन बृहत आर्थिक स्थिति को देखते हुए राजकोषीय घाटे को सघउ के 4.1 प्रतिशत पर नियंत्रित रखना एक अत्यधिक कठिन चुनौती थी, इसमें राजकोषीय समेकन को प्राप्त करने के महत्व को प्रदर्शित किया गया और चुनौती स्वीकार की गई। जैसाकि 2014-15 के बजट अनुमान में उल्लेख किया गया है, राजकोषीय समेकन योजना में कर और सघउ तथा गैर-ऋण प्राप्तियों और सघउ अनुपातों के बढ़कर क्रमशः 10.6 प्रतिशत और 9.8 प्रतिशत होने तथा कुल व्यय और सघउ अनुपात को 13.9 प्रतिशत के निम्न स्तर पर बनाए रखने का अनुमान लगाया गया। (चार्ट-2 और सारणी 2) सकल कर राजस्व हेतु परिकल्पित विकास संशोधित अनुमान 2013-14 की तुलना में 17.7 प्रतिशत और 2013-14 के अनंतिम वास्तविक आंकड़े की तुलना में 19.8 प्रतिशत था। कुल व्यय के संशोधित अनुमान 2013-14 और अनंतिम आंकड़े 2013-14 की तुलना में बजट अनुमान 2014-15 में क्रमशः 12.9 प्रतिशत और 14.8 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है। कुल व्यय की तुलना में सकल कर

चित्र 2.1: ऋणोत्तर प्राप्तियों के रुझान तथा कुल व्यय (स.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में)



स्रोत : बजट दस्तावेज और सीएसओ

राजस्व के बेहतर निष्पादन की आशा के परिणामस्वरूप 2014-15 के बजट अनुमान में राजकोषीय घाटा कम होकर सघउ कर 4.1 प्रतिशत होने का अनुमान है।

राजस्व प्राप्ति का रुझान

ऋणोत्तर प्राप्तियां

2.4 सामान्य तौर पर, समग्र बृहत आर्थिक परिणाम, राजस्व प्राप्ति में वृद्धि के बारे में तथा व्यय स्तरों पर कतिपय परिकल्पनाओं की आवश्यकता होती है ताकि वांछित राजकोषीय लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। 2014-15 के बजट में ऋणोत्तर प्राप्तियों में 2013-14 (संशोधित अनुमान) की तुलना में 18.6 प्रतिशत वृद्धि की परिकल्पना की गई है जिसमें केन्द्र को प्राप्त निवल कर राजस्व, करेतर राजस्व और ऋणोत्तर पूंजी प्राप्तियां (मुख्य रूप से ऋणों और विनिवेश प्राप्तियों की

सारणी 2.2 : सघउ के अनुपात के रूप में केन्द्र सरकार की प्राप्तियों और व्यय का रुझान

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14 अ.वा.	2014-15 ब.अ.
1. राजस्व प्राप्तियां	10.1	8.3	8.7	8.9	9.2
सकल कर राजस्व	10.2	9.9	10.2	10.0	10.6
2. पूंजी प्राप्तियां	5.2	6.1	5.3	4.8	4.7
3. ऋणोत्तर प्राप्तियां	10.6	8.8	9.1	9.3	9.8
4. कुल प्राप्तियां	15.4	14.5	13.9	13.8	13.9
5. कुल व्यय	15.4	14.5	13.9	13.8	13.9
(क) राजस्व व्यय	13.4	12.7	12.3	12.1	12.2
(ख) पूंजी व्यय	2.0	1.8	1.6	1.7	1.8
(क) योजना भिन्न व्यय	10.5	9.9	9.9	9.8	9.5
(ख) योजनागत व्यय	4.9	4.6	4.1	4.0	4.5

स्रोत : बजट प्रपत्र और केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय।

टिप्पणी : मौजूदा बाजार मूल्यों पर सघउ का परिकलन 2004-05 के आधार पर किया गया है।

अ.वा.= अनंतिम वास्तविक आंकड़ा ब.अ. बजट अनुमान।

वसूली) शामिल है। बजट अनुमान 2014-15 में 11.90 लाख करोड़ रुपए राजस्व प्राप्ति होने का अनुमान है जिसमें से केन्द्र की प्राप्त निवल कर राजस्व 9.77 लाख करोड़ रुपए और करेतर राजस्व प्राप्ति 2.12 लाख करोड़ रुपए थी। 0.74 लाख करोड़ रु. की ऋणोत्तर पूंजी प्राप्ति सहित कुल ऋणोत्तर प्राप्ति 12.64 लाख करोड़ रु. होने का अनुमान था। चार्ट 2 ऋणोत्तर प्राप्तियों और कुल व्यय का रुझान (सघउ का प्रतिशत)


कर राजस्व

2.5 राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध (एफआरबी) अधिनियम लागू किए जाने के तत्काल बाद की अवधि (2004-05 से 2007-08) के दौरान राजकोषीय सुदृढीकरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हासिल की गई जो मुख्य रूप से कर राजस्व की उगाही में वृद्धि के कारण हुई। 2008 के संकट के बाद की अवधि में समग्र सकल कर राजस्व और इसके प्रमुख संघटकों (व्यक्तिगत आयकर को छोड़कर) में इतनी अधिक वृद्धि नहीं हो सकी कि राजस्व प्रेरित राजकोषीय सुदृढीकरण के संदर्भ में प्रमुख निष्पादन को गति प्राप्त हो सके। 2014-15 के बजट में 2013-14 के संशोधित अनुमान की तुलना में प्रत्यक्ष करों और अप्रत्यक्ष करों में क्रमशः 15.8

प्रतिशत और 20.3 प्रतिशत की वृद्धि और सघउ-मौजूदा बाजार मूल्य/मौजूदा बाजार मूल्यों पर सघउ) में वृद्धि चित्र 2.2 क में आलेखित की गई है जिससे यह पता चलता है कि अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि मौजूदा बाजार मूल्यों पर सघउ (सघउ-मौजूदा बाजार बाजार मूल्य) में वृद्धि के समनुरूप नहीं रही है। 2014-15 के बजट में सघउ में 13.4 प्रतिशत की वृद्धि और जीटीआर में 19.8 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया गया था जो कर राजस्व में 1.5 प्रतिशत की वृद्धि इंगित करती है। सघउ में वृद्धि और जीटीआर में वृद्धि के रुझान को देखते हुए यह अति अनुमान प्रतीत होता है। (विस्तृत ब्यौरे के लिए मध्य वार्षिक आर्थिक विश्लेषण 2014-15 देखें)


2.6 जीटीआर का संघटन चित्र 2.2 ख में दर्शाया गया है जिससे यह पता चलता है कि 2010-11 से 2012-13 की अवधि के दौरान अप्रत्यक्ष करों की हिस्सेदारी मुख्य रूप से निरंतर बढ़ रही है जो मुख्य रूप से सेवा कर की हिस्सेदारी में वृद्धि के कारण है (2010-13 के दौरान 31.6 की औसत वार्षिक वृद्धि)। सघउ के एक अनुपात के रूप में 2014-15 (बजट अनुमान) में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों के अनुमानतः 5.7 प्रतिशत और 4.8 प्रतिशत होने का अनुमान है जो 2013-14 (सं.अ.) के क्रमशः 5.6 प्रतिशत और 4.6 प्रतिशत की तुलना में मामूली अधिक है। 2014-15 के दौरान कुल प्रत्यक्ष करों और अप्रत्यक्ष करों के क्रमशः 7.3 लाख करोड़ और 6.2 लाख करोड़ रु. होने का अनुमान है (सारणी 2.3)।

चित्र 2.2: प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर में वृद्धि तथा स.घ.उ. सीएमपी वृद्धि



स्रोत : बजट दस्तावेज, सीएसओ एवं सीजीए

चित्र 2.2ख: जीटीआर में प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कर का हिस्सा



स्रोत : बजट दस्तावेज एवं सीजीए

सारणी 2.3: कर राजस्व के स्रोत (लाख करोड़ में)

	जीटीआर	सीटी	आईटी	सीडी	यूएनई	एसटी
2010-11	7.93	2.99	1.39	1.36	1.38	0.71
2011-12	8.89	3.23	1.64	1.49	1.45	0.98
2012-13	10.36	3.56	1.97	1.65	1.76	1.33
2013-14 पीए	11.39	3.95	2.38	1.72	1.69	1.55
2014-15 बीई	13.65	4.51	2.78	2.02	2.06	2.16

स्रोत : बजट 2014-15

टिप्पणी : जीटीआर: सकल कर राजस्व, सीटी-कारपोरेशन आईटी-आय कर, सी-सीमा शुल्क, यूएनई-संघीय उत्पाद शुल्क, एसटी-सेवा कर

2.7 हालांकि बजट अनुमान 2014-15 में परिकल्पित कर राजस्व वृद्धि की दरें मौजूदा वित्त वर्ष के पहले नौ महीनों के परिणाम को देखते हुए आशावादी और अवास्तविक प्रतीत हो सकती हैं किन्तु यह ध्यान रखना अनुदेशात्मक हो सकता है कि 2012-13 में उत्पाद शुल्क और सेवा कर में वृद्धि क्रमशः 21.4 प्रतिशत और 36.0 प्रतिशत हुई थी। इस प्रकार, निजी आधार प्रभाव (निम्न विकास के) को देखते हुए ये अनुमान इतनी अधिक आशावादी नहीं थी। ये अनुमान प्रत्याशित बेहतर बृहत आर्थिक परिणाम और कर आधार व्यापक बनाने तथा एक समान कर

व्यवस्था उपलब्ध कराने के प्रयास पर आधारित थे तथा ये प्रभार सरकार की कर नीति के अंतर्निहित मूल तत्व रहे हैं। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के करों के लिए कई उपाय किए गए जिन्हें बॉक्स 2.1 में दर्शाया गया है। सीमित अर्थव्यवस्था के पुनरुत्थान, विनिर्माण क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए अनेक महत्वपूर्ण एवं विशिष्ट पहल तथा कर प्रावधानों से युक्तियुक्त बनाने के उपाय वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 2014 के माध्यम से किए गए ताकि कानूनी मामलों की संस्था में कमी लाई जा सके।

बॉक्स 2.1 : बजट 2014-15 में आरंभ किए गए उपाए

प्रत्यक्ष कर

- बजट 2014-15 में प्रत्येक व्यक्ति (60 वर्ष से कम आयु) अथवा हिंदु अविभाजित परिवार अथवा व्यक्तियों की एसोसिएशन अथवा व्यक्तियों के निकाय, चाहे निगमित हों या न हों अथवा प्रत्येक कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति के मामले में वैयक्तिक आय कर की आधारभूत छूट सीमा 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए की गई। भारत में निवासी व्यक्ति, जिसकी आयु 60 वर्ष या उसके अधिक किन्तु 80 वर्ष से कम है, के मामले में आधारभूत छूट सीमा 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए की गई।
- नए प्लांट और मशीनरी की लागत के 15% की दर पर निवेश भत्ता दिनांक 31.03.2017 तक आगे बढ़ाया गया और निवेश की आरंभिक सीमा घटाकर 25 करोड़ रुपए की गई।
- ऐसे उपक्रमों को दस वर्ष का कर अवकाश प्रदान किया गया जो 31.03.2017 तक विद्युत का उत्पाद, वितरण और ट्रांसमिशन आरंभ कर देंगे।
- प्रतिभूतियों के लेन देन से विदेशी पोर्टफोलियो वाले निवेशकों को प्राप्त आय को पूंजी आय के रूप में माना जाएगा।
- विदेशी लाभांशों पर 15 प्रतिशत की रियायती कर की दर बिना किसी समाप्ति तारीख के जारी रहेगी।
- ब्याज भुगतानों पर 5 प्रतिशत की रियायती कर दर के लिए विदेशी मुद्रा में उधार लेने की पात्रता तिथि 30.06.2015 से आगे बढ़ाकर 30.06.2017 की गई। केवल दीर्घकालिक इफ्रास्ट्रक्चर बॉण्डों के बजाय सभी प्रकार के दीर्घकालिक बॉण्डों पर कर प्रोत्साहन दिया गया।
- एडवांस्ड प्राइसिंग एग्रीमेंट (एपीए) स्कीम में 'रोल बैक' प्रावधान आरंभ करना ताकि भावी लेन देन के लिए किया गया एपीए, विशिष्ट परिस्थितियों में, पिछले चार वर्षों में किए गए अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन पर भी लागू हो।
- ट्रांसफर प्राइसिंग रेगुलेशन के अंतर्गत निकटतम मूल्य के निर्धारण के लिए परास संकल्पना आरंभ की गई।
- ट्रांसफर प्राइसिंग रेगुलेशन के अंतर्गत तुलना विश्लेषण हेतु बहुत से वर्गों के डेटा के उपयोग की अनुमति दी गई।
- निवासी कर दाताओं को उनके एक निश्चित आरंभिक सीमा से अधिक आय कर दायित्वों के संबंध में अग्रिम तौर पर आदेश प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाया गया।
- आय कर निपटान आयोग के क्षेत्र का विस्तार किया गया।

अप्रत्यक्ष कर

(क) सीमा शुल्क

कृषि/कृषि प्रसंस्करण/बागान क्षेत्र : तेल-निष्कर्षित सोया तत्व, मूंगफली की खली/खली चूर्ण आदि के लिए 31.12.2014 तक सीमाशुल्क से पूरी छूट दी गई है।

रसायन और पेट्रो रसायन क्षेत्र में मूल सीमाशुल्क (बीसीडी) में कमी की गई है।

ऊर्जा क्षेत्र : विभिन्न प्रकार के असंपिंडित कोयले पर शुल्क ढांचे को 2.5% बीसीडी और 2% सीबीडी पर युक्त संगत बनाया गया है।

वस्त्र एवं निर्यात : सिले-सिलाए वस्त्र गारमेंट सेक्टर द्वारा निर्यात हेतु वस्त्रों को तैयार करने के लिए प्रयुक्त गोर्टों-पट्टियों एवं सजावट वाली वस्तुओं के आयात के लिए शुल्क-मुक्त पात्रता 3% से बढ़ाकर 5% कर दी गई है।

(जारी...)

बॉक्स 2.1 : बजट 2014-15 में आरंभ किए गए उपाए (जारी...)

धातु : कतिपय स्टेनलेस स्टील प्लेट उत्पादों पर बीसीडी को 5% से बढ़ाकर 7.5% कर दिया गया है। बॉक्साइट पर निर्यात शुल्क 10% से बढ़ा कर 20% किया गया है।

बहुमूल्य धातुएं : आधे-तराशे गए या टूटे हीरों पर बीसीडी शून्य से बढ़ाकर 2.5% कर दिया गया है तथा तराशे हुए और पॉलिश किए गए हीरों और कलर्ड रत्नों पर बीसीडी 2% बढ़ाकर 2.5% कर दिया गया है।

इलेक्ट्रॉनिक्स/हार्डवेयर : 19 इंच से कम के एलसीडी एवं एलईडी टीवी पैनलों और कैथोड किरण टीवी विनिर्मित करने के लिए कलर पिक्चर ट्यूबों पर बीसीडी 10% से घटाकर शून्य कर दिया गया है। आयातित इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों पर शिक्षा उपकरण और माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा (एसएचई) उपकरण वसूल किए जाते थे।

नवीकरणीय ऊर्जा : पवन चालित बिजली जनरेटरों तथा सौर ऊर्जा उत्पादन परियोजनाओं में प्रयुक्त पूर्यों पर लगने वाले बीसीडी को कम किया गया।

स्वास्थ्य : एड्स, टीबी और मलेरिया पर रोकथाम के लिए वैश्विक निधि द्वारा वित्तपोषित राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत आयातित एचआईवी/एड्स औषधि एवं नैदानिक किटों के लिए सीमा शुल्क एवं उत्पाद शुल्क से पूरी छूट दी गई है।

(ख) उत्पाद शुल्क

कृषि/कृषि प्रसंस्करण/बागान क्षेत्र : मांस पॉल्ट्री आदि तैयार करने के लिए मशीनों पर उत्पाद शुल्क 10% से घटाकर 6% कर दिया गया है।

धातुएं : तांबे के संवेष्टन तारों पर उत्पाद शुल्क 10% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया है।

कपड़ा : प्लास्टिक कचरा या रद्दी अथवा प्लास्टिक अपशिष्ट से निर्मित पोलिस्टर स्टेपल फाईबर और पोलिस्टर फिलामेंट पर 2% (सेन्वैट के बिना) अथवा 6% (केन्द्रीय सेन्वैट के साथ) की दर पर उत्पाद शुल्क लगाया गया।

स्वास्थ्य : 65 मिमी तक लम्बाई वाली सिगरेट पर उत्पाद शुल्क 72% तक और अन्य लम्बाई सिगरेट पर 11% से बढ़ाकर 21% किया गया। सिगार, चिरूट और सिगारिलोस पर भी इतनी ही वृद्धि की गई। पान मसाला पर आधारभूत उत्पाद शुल्क में 12% से 16%, बिना निर्मित तम्बाकू पर 50% से 55% और जरदा सुगंधित तम्बाकू, गुटखा और चबाए जाने वाले तम्बाकू पर 60% से बढ़ाकर 70% की गई।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राष्ट्रीय वैक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनबीबीडीसीपी) को आपूर्ति किए जाने के लिए हिंदुस्तान इनसैक्टीसाईड लिमिटेड द्वारा उत्पादित डीडीटी को उत्पाद शुल्क से पूरी छूट प्रदान की गई।

इलेक्ट्रॉनिक्स/हार्डवेयर : रिकॉर्ड किए गए स्मार्ट कार्ड पर उत्पाद शुल्क सेन्वैट के बिना 2% और सेन्वैट के साथ 6% से बढ़ाकर 12% की एक समान दर पर लाया गया।

नवीकरणीय ऊर्जा : सौर ऊर्जा उत्पादन परियोजनाओं और कॉम्प्रेसड बायोगैस संयंत्र (बायो-सीएनजी) की स्थापना के लिए आवश्यक मशीनरी पर उत्पाद शुल्क से पूरी छूट प्रदान की गई।

ऊर्जा क्षेत्र : ब्रांडेड पेट्रोल पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 7.50 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 2.35 रुपए प्रति लीटर किया गया ताकि ब्रांडेड और बिना ब्रांडेड पेट्रोल की कीमत के बीच अंतर को कम किया जा सके। कोयला, लिगनाइट और पीट पर लगाए गए स्वच्छ ऊर्जा कर की दर 50 रुपए प्रति टन से बढ़ाकर 100 रुपए प्रति टन की गई।

(ग) सेवा कर

कर आधार का विस्तार करने और वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) आरंभ करने की तैयारी के रूप में सेवाओं की नकारात्मक सूची और सेवा कर छूट की समीक्षा की गई। ऑनलाइन और मोबाइल विज्ञापन जैसी सेवाओं और रेडियो टैक्सी या रेडियो कैब द्वारा उपलब्ध सेवाओं को कर के दायरे में लाया गया है जबकि मानव प्रतिभागियों पर नैदानिक अनुसंधान जैसी सेवाओं और वातानुकूलित कॉट्टेक्ट कैरिजों द्वारा उपलब्ध सेवाओं पर कर छूट समाप्त कर दी गई है।

बजट 2014-15 के बाद किए गए उपाय

सीमा शुल्क - कच्ची और परिष्कृत वाईट शुगर पर आधारभूत सीमा शुल्क 15% से बढ़ाकर 25% किया गया।

उत्पाद शुल्क - पेट्रोल और डीजल (ब्रांडेड और बिना ब्रांडेड) पर आधारभूत उत्पाद शुल्क निम्नवत् रूप से बढ़ाया गया:

- बिना ब्रांडेड पेट्रोल 1.20 रुपए प्रति लीटर से 4.95 रुपए प्रति लीटर;
- ब्रांडेड पेट्रोल 2.35 रुपए प्रति लीटर से 6.10 रुपए प्रति लीटर;
- बिना ब्रांडेड डीजल 1.46 रुपए प्रति लीटर से 3.96 रुपए प्रति लीटर; और
- ब्रांडेड डीजल 3.75 रुपए प्रति लीटर से 6.25 रुपए प्रति लीटर

स्रोत : राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय।

2.8 राजस्व जुटाने तथा व्यवसाय को अधिक आसान बनाने के लिए कर प्रशासन को चलाने की प्रक्रिया के आधुनिकीकरण के माध्यम से एक गैर-प्रतिकूल एवं गैर-हस्तक्षेप वाली कर व्यवस्था को बढ़ावा दिया जा रहा है। कर दाता सेवाओं को ई-समर्थकारी बनाने और आयकर रिटर्न, विभिन्न प्रपत्रों, लेखा परीक्षा रिपोर्टों, आदि को भरने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का विस्तृत रूप से उपयोग किया जा रहा है। स्रोत पर कर कटौती को इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग और कम्प्यूटरीकृत प्रक्रिया के साथ अनुकूल किया गया है। बेंगलूरु में आय कर रिटर्न के लिए केन्द्रीय प्रोसेसिंग केन्द्र और वैशाली गाजियाबाद में केन्द्रीय प्रोसेसिंग केन्द्र टीडीएस को पूर्णतया कार्यशील बनाया गया है। इन उपायों से कर प्रशासन अपेक्षाकृत अधिक कुशल तरीके से और स्वतः कार्य कर सकेगा और कर दाताओं की शिकायतें भी कम होंगी।

2.9 वर्ष 2014-15 में एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य, लोक सभा में दिनांक 19.12.2014 को संविधान (122वां संशोधन) विधेयक को लाया जाना था जिसमें सभी वस्तुओं अथवा सेवाओं, विनिर्दिष्ट वस्तुओं को छोड़कर, पर वस्तु एवं सेवा कर (जी एस टी) लगाए जाने का प्रावधान है। जीएसटी की मोटे तौर पर संरचना बाक्स-2 में दी गई है।

संग्रहण दर

2.10 वस्तुओं के आयात पर सीमा शुल्क लिया जाता है किन्तु सांविधिक दर को लागू किए जाने में बहुत सी छूट के मामले भी होते हैं। इसलिए आयातों के बढ़ने से यह आवश्यक नहीं है कि सीमा कर संग्रहण में भी इसी प्रकार का परिवर्तन होगा। संग्रहण दर, सीमा शुल्क के समग्र भार का एक संसूचक है और इसकी गणना किसी राजकोषीय वर्ष में आयातों की मात्रा और कुल सीमा शुल्क राजस्व संग्रहण के अनुपात के रूप में की जाती है। महत्वपूर्ण वस्तु समूहों और साथ ही सभी वस्तुओं के संदर्भ में पिछले वर्षों में इन अनुपातों के रुझान सारणी 2.4 में दर्शाए गए हैं। संग्रहण दरों में गिरावट का एक प्रमुख कारण पेट्रोलियम, तेल और लुब्रीकेंट (पीओएल) सहित कई मदों जिनका आयात मूल्य काफी है, पर शुल्क में कमी का होना है, जिसमें से कई अभी हाल ही की वृद्धि तक जारी रहे और इन पर विभिन्न छूट का भी प्रभाव है।

कर व्यय

2.11 करों की सांविधिक दरों, जैसा कि विभिन्न अनुसूचियों में अधिसूचित हैं, और कराधान की वास्तविक या प्रभावी दर, जो कुल कर योग्य (कर आधार) पर संग्रहित कर राजस्व का अनिवार्यतम एकसामान्य अनुपात है, के बीच

सारणी 2.4 : चुनिंदा आयात समूहों के लिए संग्रहण दरें

क्रम सं०	वस्तु	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
1	खाद्य उत्पाद	4.2	2.5	3.1	2.9	3.2	5.3
2	पीओएल	2.7	1.9	5.6	2.8	1.5	1.6
3	रसायन	16.4	13.9	16.9	14.0	16.3	16.3
4	मानव निर्मित फाइबर	17.0	22.0	29.6	21.9	31.3	29.5
5	पेपर एवं न्यूजप्रिंट	8.4	7.7	7.9	7.0	7.3	7.3
6	प्राकृतिक फाइबर	5.6	4.3	4.6	3.3	4.5	5.6
7	धातुएं	16.8	17.4	22.0	19.7	22.7	22.9
8	पूंजीगत वस्तुएं	12.5	11.3	12.9	11.5	11.7	11.9
9	अन्य	4.0	3.8	3.9	3.7	4.7	5.4
10	गैर पीओएल	8.7	7.6	8.5	7.4	8.2	8.8
	कुल	6.9	5.9	7.7	6.0	6.0	6.1

स्रोत : राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय

टिप्पणी : क्रम सं० 1 में अनाज, दालें, चाय, दूध और क्रीम, फल, सब्जियां, एनीमल फैट और शुर्करा शामिल हैं।

क्रम सं० 3 में रासायनिक वस्तुएं, यौगिक, फार्मास्यूटिकल, डाईंग और कलरिंग मैटीरियल, प्लास्टिक और रबर शामिल हैं।

क्रम सं० 5 में लुग्दी और अपशिष्ट कागज, न्यूजप्रिंट, पेपरबोर्ड और मैनुफैक्चर्स एवं प्रिंटेड बुक्स शामिल हैं।

क्रम सं० 6 में कच्चा वूल और सिल्क शामिल हैं।

क्रम सं० 7 में लोहा, स्टील एवं नॉन-फेरस धातुएं शामिल हैं।

क्रम सं० 8 में नॉन इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी एवं परियोजना आयात, इलेक्ट्रिकल मशीनरी शामिल हैं।

बाक्स 2.2 : वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी)

वस्तु एवं सेवा कर आरंभ किया जाना, भारत में अप्रत्यक्ष कर सुधार के क्षेत्र में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम होगा। बड़ी संख्या में केन्द्रीय और राज्य करों को एक ही कर में मिलाने से क्रम प्रपात अथवा दोहरे कराधान में कमी आएगी और एक सामान्य राष्ट्रीय बाजार बनने का मार्ग प्रशस्त होगा। उपभोक्ता की दृष्टि से, सबसे बड़ा लाभ वस्तुओं पर समग्र रूप से कर भार में कमी के रूप में होगा, जो वर्तमान में 25%-30% होने का अनुमान लगाया गया है। जीएसटी आरंभ किए जाने से भारतीय उत्पादों के घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में प्रतिस्पर्धा आने की उम्मीद भी है। अध्ययनों से पता चलता है कि इससे तुरंत ही आर्थिक प्रगति में तेजी आएगी। इसके पारदर्शी होने के कारण, आशा है कि जीएसटी का प्रशासन अपेक्षाकृत अधिक आसान होगा। मुख्य तौर पर विशेषताएं निम्न प्रकार से हैं:

- (i) वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लागू होगा जब कि वर्तमान में वस्तुओं के उत्पादन अथवा विक्री अथवा सेवाओं के प्रावधान पर कर की संकल्पना है।
- (ii) उत्पत्ति आधारित कर की वर्तमान संकल्पना की तुलना में जीएसटी एक गंतव्य आधारित कर होगा।
- (iii) यह दोहरा जीएसटी होगा जिसे केंद्र और राज्यों द्वारा एक साथ एक उभयनिष्ठ आधार पर लागू किया जाएगा। केंद्र द्वारा लागू जीएसटी केन्द्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) और राज्यों द्वारा लागू जीएसटी को राज्य जीएसटी (एसजीएसटी) कहा जाएगा।
- (iv) वस्तुओं अथवा सेवाओं की अंतर-राज्यीय आपूर्ति (स्टॉक ट्रांसफर सहित) पर एक एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी) लागू किया जाएगा। यह केंद्र द्वारा एकत्र किया जाएगा ताकि क्रेडिट शृंखला में बाधा उत्पन्न न हो।
- (v) वस्तुओं एवं सेवाओं के आयात को अंतर-राज्यीय आपूर्ति माना जाएगा और यह लागू सीमा शुल्कों के अतिरिक्त आईजीएसटी के अध्वधीन होगा।
- (vi) वस्तुओं की अंतर-राज्यीय आपूर्ति पर केंद्र द्वारा नॉन-वेटेबल अतिरिक्त कर, जो 1% से अधिक नहीं होगा, लगाया जाएगा और उत्पत्ति वाले राज्य द्वारा कम से कम दो वर्ष के लिए अपने पास रखा जाएगा।
- (vii) सीजीएसटी, एजीएसटी और आईजीएसटी उन दरों पर लागू किए जायेंगे जिनकी अनुशंसा वस्तु एवं सेवा कर परिषद द्वारा की जाएगी, इस परिषद के अध्यक्ष, केन्द्रीय वित्तमंत्री होंगे और इसमें राज्यों के वित्त मंत्री, सदस्य के रूप में शामिल होंगे।
- (viii) मानव उपभोग के लिए एल्कोहॉल को छोड़कर, जीएसटी सभी वस्तुओं एवं सेवाओं पर लागू होगा।
- (ix) पेट्रोलियम उत्पादों पर जीएसटी उस तारीख से लागू होगा जिसकी अनुशंसा वस्तु एवं सेवा कर परिषद द्वारा की जाएगी।
- (x) लम्बाकू और तम्बाकू उत्पाद जीएसटी के अंतर्गत आयेंगे। इसके अतिरिक्त केंद्र द्वारा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क जारी रखा जा सकता है।
- (xi) सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों पर एक सामान्य प्रारंभिक छूट सीमा लागू होगी। इससे कम कारोबार वाले करदाता जीएसटी के दायरे में नहीं आयेंगे। एक सीमा से नीचे के कर दाताओं को एक कम्पाउंडिंग विकल्प (अर्थात् क्रेडिट रहित कारोबार पर एक समान दर पर कर का भुगतान करना) उपलब्ध होगा, तथापि एक कर योग्य व्यक्ति, जो प्रारंभिक सीमा अलग कम्पाउंडिंग के अंतर्गत है, एक सामान्य दर पर कर का भुगतान कर सकता है ताकि इनपुट टैक्स, क्रेडिट शृंखला का भाग रह सके।
- (xii) छूट प्रदान की गई वस्तुओं और सेवाओं की सूची कम से कम रखी जाएगी और जहां तक संभव होगा, इसे केंद्र और राज्यों के लिए संगत रखा जाएगा।
- (xiii) निर्यात की दर शून्य होंगी।
- (xiv) इनपुट पर भुगतान किए गए सीजीएसटी की क्रेडिट राशि का उपयोग केवल आउटपुट पर सीजीएसटी के भुगतान के लिए किया जा सकता है और इनपुट पर भुगतान किए गए एसजीएसटी की क्रेडिट राशि का उपयोग केवल एसजीएसटी के भुगतान के लिए किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, इनपुट कर क्रेडिट की दोनों शाखाओं का उपयोग परस्पर नहीं किया जा सकता है, ऐसा केवल अन्तर राज्यीय आपूर्ति के विनिर्दिष्ट मामलों में आईजीएसटी के भुगतान के लिए किया जा सकता है।

पिछले चार दशकों में (मूल्य वर्धित कर) वैट, अप्रत्यक्ष कराधान का एक महत्वपूर्ण साधन रहा है। इसे 130 देशों में अपनाया गया है और इसके फलस्वरूप विश्व के कर राजस्व का पांचवां भाग प्राप्त किया गया है। कई विकासशील देशों में कर सुधारों के अंतर्गत वैट को अपनाने की ओर ध्यान दिया गया है। कनाडा, न्यूजीलैंड और आस्ट्रेलिया जैसे संघीय देशों ने अपनी संरचना के अंतर्गत सफलतापूर्वक जीएसटी को अपनाया है। भारत में एक व्यापक वस्तु एवं सेवा कर के कार्यान्वयन से, अन्य के साथ-साथ उत्पादन के कारकों का कुशल आवंटन होने की आशा है, जिससे सकल घरेलू उत्पाद और निर्यात में वृद्धि होगी। इससे आर्थिक कल्याण में वृद्धि होगी और उत्पादन के कारकों जैसे भूमि, श्रम और पूंजी से अपेक्षाकृत अधिक रिटर्न प्राप्त होंगे। तथापि, चूंकि जीएसटी कई राज्य स्तरीय और केन्द्रीय करों का स्थान लेगा, अधिक राजस्व की प्राप्ति होने की संभावना नहीं है।

स्रोत : राजस्व विभाग एवं एनसीईईआर वर्किंग पेपर सं 103 जिसका शीर्षक है- 'भारत में वस्तु एवं सेवा कर को अपनाया जाना-भारत की प्रगति और अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर प्रभाव', 2009

काफी भिन्नता है। कर व्यय अथवा कर छोड़ने के अनुमानों का उद्देश्य परित्यक्त राजस्व को संसूचित करना है। विशिष्ट रूप में परित्यक्त राजस्व को बढ़ा-चढ़ा कर बताया जाता है क्योंकि अधिकांश विकासशील बाजारों में करों की उनकी सांविधिक अनुसूची में उच्च दर होती है और प्रभावी दर, कई वर्षों के लिए सुव्यवस्थित तौर पर, अपेक्षाकृत काफी कम होती है। उदाहरण के लिए गैर-कृषिगत वस्तुओं के लिए सीमा शुल्क की शीर्ष दर कई वर्षों के लिए 10 प्रतिशत रही है जबकि इस समय अनुसूची दरें कई गुना अधिक हैं। 2014-15 के प्राप्त बजट में निगम आयकर के तहत छूट के कारण कर छूट 2012-13 के लिए 68,720 करोड़ रु. अनुमानित है और 2013-14 के लिए 76116 करोड़ रु. की संभावना है। (मैट के जरिये एकत्र अतिरिक्त देनदारी पर विचार करने के उपरांत) हालांकि, इसे परित्यक्त राजस्व कहा गया है, इसका आशय यह नहीं है कि इस राजस्व को सरकार से छूट प्राप्त है। इसके बजाय कुछ मामलों में, इसे कुछ क्षेत्रों और कतिपय कार्यकलापों को बढ़ावा देने के लिए लक्षित व्यय के रूप में देखा जा सकता है, जिन्हें ऐसे कर व्यय के जरिये बढ़ावा नहीं दिया गया है और संभवतः ऐसे प्रोत्साहन न दिए जाने पर यह वास्तव में अस्तित्व में नहीं आ पाते। इसके अलावा, किसी क्षेत्र के प्रगति के कारण गौण आर्थिक लाभ के द्वारा सकारात्मक बाह्य प्रभाव, किसी क्षेत्र के परित्यक्त राजस्व के निर्धारण में भी प्रभाव नहीं डालती। तथापि, इन लाभों के व्युत्पन्न होने के बावजूद, मामला इस शीर्ष के तहत कुछ प्रविष्टियों के यौक्तिकीकरण का है।

2.12 सारणी 2.5 : परित्यक्त राजस्व में प्रवृत्तियां कर परित्याग के अनुमान वर्ष 2012-13 के लिए है, जो सर्वाधि

क नया वर्ष है जिसके लिए आंकड़े उपलब्ध हैं तथापि, वित्तीय वर्ष 2012-13 के परित्यक्त आंकड़ों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान परित्याग किए जाने के लिए राजस्व के अनुमान भी लगाए गए हैं। केन्द्रीय करों (प्रत्यक्ष, व अप्रत्यक्ष, दोनों) से परित्यक्त संचयी राजस्व 2012-13 हेतु 5.66 लाख करोड़ रु. है और 2013-14 के लिए इसके 5.73 लाख करोड़ रु. अनुमानित है।

कर-भिन्न राजस्व

2.13 कर-भिन्न राजस्व में मुख्यतः ब्याज और लाभांश प्राप्तियां और केन्द्र सरकार द्वारा मुहैया कराई गई सेवाओं से प्राप्तियां होती हैं। 2011-12 और 2012-13 में स.घ.उ. के लगभग 1.4% पर रहने के बाद, कर-भिन्न राजस्व, 2013-14 (अनंतिम वास्तविक आंकड़े) में स.घ.उ. का 1.8% अनुमानित है और बजट 2014-15 में इसे स.घ.उ. के लगभग 1.7% पर बरकरार रखने का लक्ष्य रखा गया है। केन्द्र का कर-भिन्न राजस्व केन्द्र सरकार की राजस्व प्राप्तियों और ऋण-भिन्न प्राप्तियों का क्रमशः लगभग 17.9 प्रतिशत और 16.08 प्रतिशत होना अनुमानित है। 2013-14 (अनंतिम वास्तविक आंकड़े) की तुलना में 2014-15 (बजट अनुमान) में कर-भिन्न राजस्व की कम वृद्धि का कम अनुमान मुख्यतया उच्च लाभांश और फायदे तथा ब्याज प्राप्तियों के कारण 2013-14 में उच्च आधार के कारण था।

ऋण-भिन्न पूंजी प्राप्तियां

2.14 ऋणों की वसूली और विनिवेश ऋण-भिन्न पूंजी प्राप्तियों के दो प्रमुख संघटक हैं: 2013-14 (अनंतिम वास्तविक आंकड़े) में 40,057 करोड़ रुपए की तुलना में

सारणी 2.5 : परित्यक्त राजस्व/कर व्यय के रुझान

कर शीर्ष	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14P	2012-13	2013-14P
	₹ करोड़				जीटीआर का %	
कारपोरेट कर	57912	61765	68720	76116	6.6	6.7
वैयक्तिक आयकर	36826	39375	33536	40414	3.2	3.5
उत्पाद शुल्क	192227	195590	209940	195679	20.3	17.2
सीमा शुल्क	172740	236852	254039	260714	24.5	22.9
कुल	459705	533583	566235	572923	54.6	50.3
सकल कर राजस्व	793072	889177	1036235	1138832		

स्रोत : विभिन्न वर्षों के प्राप्त बजट
टिप्पणी : प्र = प्रक्षेपित

बजट 2014-15 में ऋण-भिन्न पूंजी प्राप्तियां 73,952 करोड़ रुपए रखी गई, जिसमें 10,527 करोड़ रुपए ऋणों की वसूली और 63,425 करोड़ रुपए अन्य प्राप्तियां (मुख्यतया विनिवेश) शामिल हैं। ऋणों की वसूली कम होती जा रही है और मुख्यतया केन्द्र से राज्यों को ऋण मध्यस्थता के लिए 12वें वित्त आयोग की सिफारिश के कारण ऋणों की वसूली ऋण-भिन्न पूंजी प्राप्तियों का लघु स्रोत बन गयी है। इस शीर्ष के अंतर्गत पिछले वर्षों से विनिवेश प्राप्तियों का महत्व अधिक बढ़ गया है। 2014-15 के लिए बजट में अनुमान लगाया गया था कि वित्त वर्ष के दौरान 58,425 करोड़ रुपए प्राप्त होगा, जिसमें से 43,425 करोड़ रुपए केन्द्रीय सरकारी सेक्टर के उद्यमों में विनिवेश के माध्यम से और 15,000 करोड़ रुपए गैर-सरकारी कंपनियों में सरकारी पण के विनिवेश के जरिए प्राप्त होने का अनुमान था। मौजूदा वित्त वर्ष में सरकार ने सेल, कोल इंडिया और अन्य में अपना इक्विटी विनिवेश किया और लगभग 24000 करोड़ रुपए प्राप्त किया।


व्यय में प्रवृत्तियां

2.15 जैसाकि पहले के परिच्छेदों में उल्लेख किया गया है, राजस्व बढ़ाना और इसके साथ-साथ व्यय का यौक्तिकीकरण राजकोषीय सुधार के दो स्तम्भ हैं। सक्षम और कारगर व्यय प्रबंधन राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम का प्रमुख घटक है। बजट 2014-15 में 17.95 लाख करोड़ रुपए के कुल व्यय का अनुमान था, जो 2013-14 (सं.अ.) से 12.9 प्रतिशत अधिक था और 2013-14 (अनतिम वास्तविक आंकड़े) से 14.8 प्रतिशत अधिक था। इसके भीतर पूंजी व्यय में प्रत्याशित वृद्धि 18.8 प्रतिशत और राजस्व


व्यय में वृद्धि 12.0 प्रतिशत 2013-14 सं.अ.) की तुलना में थी। अलग-अलग स्तर पर 2014-15(ब.अ.) में अनुमानित आयोजना और आयोजना-भिन्न व्यय क्रमशः 5.75 लाख करोड़ रुपए और 12.20 लाख करोड़ रुपए था, जो बजटीय स.घ.उ. का 4.5 प्रतिशत और 9.5 प्रतिशत था, (कृपया सारणी 2.2 देखें) जो सं.अ. 2013-14 की तुलना में क्रमशः 20.9 प्रतिशत और 9.4 प्रतिशत की वृद्धि है।

आयोजना व्यय

2.16 2014-15 में बेहतर सामंजस्य और कारगर क्रियान्वयन एवं पुनर्वर्गीकरण के लिए केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों की 66 कार्यक्रमों में पुनर्संरचना की गई और इन कार्यक्रमों के अंतर्गत निधियां राज्य आयोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता के रूप में जारी की जानी थी, जिसमें राज्यों को स्कीमों के क्रियान्वयन में अधिकाधिक स्वायत्तता, अधिकार और उत्तरदायित्व दिया गया था। इसके परिणामस्वरूप राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की आयोजनाओं को केन्द्रीय सहायता में सं.अ. 2013-14 में 1.19 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर ब.अ. 2014-15 में 3.38 लाख करोड़ रुपए की वृद्धि दर्ज की गई। इसके अतिरिक्त निवल राजस्व और निवल पूंजी व्यय की संरचना 2012-13 से लगभग यथावत बनी हुई है, और इन दोनों संघटकों का व्यष्टि रूप में आयोजना व्यय का लगभग आधा योगदान रहा (चित्र 2.3)। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय आयोजना परिव्यय का प्रमुख सेक्टर-वार आबंटन (सकल बजटीय सहायता केन्द्रीय आयोजना जमा केन्द्रीय सरकारी सेक्टर के उद्यमों के आंतरिक एवं बजट-बाह्य संसाधन) दर्शाता है कि ऊर्जा, परिवहन, समाज सेवा और उद्योग तथा खनिजों को ब.अ. 2014-15 में अधिकतम हिस्सा मिला (चित्र 2.4)।



स्रोत : बजट दस्तावेज, सीएसओ एवं सीजीए टिप्पणी : निवल राजस्व और व्यय पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान को घटाकर है। इस शीर्ष को पूंजी व्यय में शामिल किया गया है और निवल पूंजी व्यय का नाम दिया गया है।



स्रोत : बजट 2014-15।

आयोजना-भिन्न व्यय


2.17 आयोजना भिन्न व्यय ब.अ. 2014-15 में कुल व्यय का लगभग 68 प्रतिशत था, जो 2013-14 (अनंतिम वास्तविक आंकड़े) के स्तर से 3 प्रतिशतांक कम था। ब.अ. 2014-15 के कुल आयोजना-भिन्न व्यय में से आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय का हिस्सा 91.4 प्रतिशत है और शेष मामूली 8.6 प्रतिशत पूंजी आयोजना-भिन्न व्यय में लिया जा रहा है। पूंजी आयोजना-भिन्न व्यय के भीतर रक्षा व्यय का अधिकतम हिस्सा था।

2.18 राजकोषीय सुदृढीकरण का मार्ग प्रशस्त करने की कार्यनीति के रूप में, व्यय के यौक्तिकीकरण में प्रमुख अड़चनें हैं।, ये ब्याज अदायगियां, सब्सिडियां, रक्षा सेवाएं, पेंशन और आयोजना-भिन्न अनुदानों और राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता जैसे बचनबद्ध व्यय के कारण थे, जो 2014-15 ब.अ. में कुल आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय का लगभग 87.4 प्रतिशत था (चित्र 2.5)। आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय का यौक्तिकीकरण और पुनः प्राथमिकता देने की राजकोषीय सुदृढीकरण की प्रक्रिया और अधिकाधिक समावेशी एवं सतत् विकास के लिए व्यय के प्रति महत्वपूर्ण भूमिका होने की संभावना है।

सब्सिडियां

2.19 ब.अ. 2014-15 के लिए सब्सिडी बिल 2.60 लाख करोड़ रुपए रखा गया था, जो आयोजना-भिन्न व्यय का 23.4 प्रतिशत और स.घ.उ. का 2.0 प्रतिशत था। वित्तीय संकट के बाद की अवधि में सब्सिडी बिल 2009-10 में स.घ.उ. के 2.2 प्रतिशत से बढ़कर 2012-13 में स.घ.उ. का 2.5 प्रतिशत हो गया (सारणी 2.6)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2009-10 से 2012-13 की मुख्य मदें खाद्य और पेट्रोलियम सब्सिडियां थीं। घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं के बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण आरंभ करने के साथ-साथ अक्टूबर, 2014 में डीजल की कीमतों को नियंत्रण मुक्त करने तथा कच्चे तेल के वैश्विक मूल्य में गिरावट से पेट्रोलियम सब्सिडी बिल को नियंत्रित करने में सहायता मिलेगी। पेट्रोलियम उत्पादों पर 2013-14 के दौरान 139,869 करोड़ रुपए की तुलना में 2014-15 के दौरान 74,664 करोड़ रुपए होने की संभावना है (बॉक्स 2.3)।

2.20 खाद्य सब्सिडी को यौक्तिक बनाना अभी तक ऐसा क्षेत्र बना हुआ है, जहां और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। हाल ही में भारतीय खाद्य निगम के पुनर्गठन के लिए उच्च स्तरीय समिति ने अनेक उपायों की सिफारिश की है, जिनमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभार्थियों को नकद अंतरण



स्रोत : बजट दस्तावेज एवं सीजीए

सारणी 2.6 : सब्सिडियों में प्रवृत्ति (करोड़ रुपए में)

सब्सिडी शीर्ष	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14 अ.वा.	2014-15 ब.अ.
खाद्य	58443	63844	72822	85000	92318	115000
उर्वरक	61264	62301	70013	65613	71280	72970
पेट्रोलियम	14951	38371	68484	96880	83998	63427
प्रमुख सब्सिडियां	134658	164516	211319	247493	247596	251397
कुल सब्सिडियां	141351	173420	217941	257079	उ.न.	260658
सघउ के % के रूप में प्रमुख सब्सिडियां	2.08	2.11	2.35	2.45	2.18	1.95
सघउ के % के रूप में कुछ सब्सिडियां	2.18	2.22	2.42	2.54	उ.न.	2.02


स्रोत : केन्द्रीय बजट दस्तावेज

बॉक्स 2.3 : कच्चे तेल के मूल्य में वैश्विक गिरावट और ईंधन नीति में सुधारों के प्रभाव

कच्चे तेल की कीमतों में हालिया प्रवृत्तियां: वर्ष 2010 से कच्चे तेल की वैश्विक कीमत प्रति बैरल 100 डालर पर स्थिर थी। तथापि, इन कीमतों में सितंबर 2014 से तेजी से गिरावट आई। उनमें जुलाई 2014 से गिरावट आ रही है। जब उनकी कीमतें प्रति बैरल 106.30 डालर थी, वह गिरकर जनवरी, 2015 में प्रति बैरल 50 डालर से नीचे आ गई। इस तेजी से गिरावट के कारणों में एशिया के देशों में कमजोर मांग, विशेषकर चीन और यूरोप में कमजोर मांग को माना जा सकता है। इसके अतिरिक्त संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा जैसे देशों द्वारा तेल आयात पर उनकी निर्भरता कम करने के लिए शेल गैस का पता लगाने के कारण तेल की मांग कम हो गई। इसके परिणामस्वरूप डीजल की खुदरा कीमतों घरेलू एलपीजी और किरोसीन की कीमतों में कटौती हुई। 2014-15 के लिए माह-वार कीमत की प्रवृत्ति नीचे दर्शायी गई है।

विगत कुछ वर्षों के दौरान कम वसूली/सब्सिडी के लिए अंशदान काफी बढ़ गया, जिसने सरकार की वित्तीय स्थिति को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया इस प्रकार से स्फोटिकारी दबाव काफी बढ़ गया। तथापि, अक्टूबर, 2014 में तेल और गैस सेक्टर में सब्सिडी के ढांचे को योजितक बनाने के लिए सरकार ने प्रमुख मूल्यनिर्धारण सुधार आरंभ किया। डीजल की कीमतें नियंत्रणमुक्त की गईं और बाजार तथा रिफाइनरी स्तर पर बाजार द्वारा निर्धारित होने लगी। नियंत्रणमुक्त करने से प्रतिस्पर्धा के बढ़ने के कारण सेवा प्रदायगी बेहतर हो सकती है। प्रत्यक्ष लाभ के अलावा डीजल की कम कीमत से भी उपभोक्ताओं को अप्रत्यक्ष फायदा हुआ है क्योंकि वस्तुओं की आवा-जाही की लागत कम हुई है।

भारतीय वस्तु समूह कच्चे तेल का मूल्य (यूएसडी/बीबीएल)



कम वसूलियां: पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों को नियंत्रण में रखने

के परिणामस्वरूप तेल विपणन कंपनियों के पास कम वसूली हुई क्योंकि उन्हें आयात के संगत मूल्य/व्यापार संगत मूल्य के आधार पर रिफाइनरी से उत्पादों की खरीद पर रिफाइनरी गेट कीमत चुकानी पड़ी परन्तु घरेलू कीमतों से उनकी वसूली नहीं कर सकी। सरकारी सेक्टर की तेल विपणन कंपनियों 18 अक्टूबर 2014 जब डीजल को नियंत्रणमुक्त किया गया था तक डीजल की खरीद के लिए अंतरराष्ट्रीय कीमतों पर आधारित व्यापार संगत कीमत और पीडीएस किरोसीन और घरेलू एलपीजी की खरीद के लिए आयात संगत कीमत रिफाइनरियों को चुकाती रही। आम जनता को इसके प्रभाव से बचाने के लिए सरकार पीडीएस किरोसीन और घरेलू एलपीजी की खुदरा बिक्री कीमतों को घटाती-बढ़ाती रही।

2014-15 के दौरान अनुमानित कम वसूली 74,664 करोड़ रुपए, जिसमें डीजल का योगदान 10,935 करोड़ रुपए पीडीएस किरोसीन का 24,412 करोड़ रुपए और घरेलू एलपीजी का 39,317 करोड़ रुपए है। 2013-14 में यह कम वसूली 1,39,869 करोड़ रुपए थी, जिसमें डीजल का योगदान 62,837 करोड़ रुपए पीडीएस किरोसीन 30,574 करोड़ रुपए और घरेलू एलपीजी का 46,458 करोड़ रुपए था। 2014-15 के दौरान डीजल पर से प्रशासनिक नियंत्रण हटाने और कच्चे तेल की कीमत कम होने से कम वसूली लगभग 47 प्रतिशत तक घट सकती है।

तेल विपणन कंपनियों द्वारा की गई कम वसूली को अग्रणी राष्ट्रीय तेल कंपनियों और सरकार द्वारा वहन किया गया। 2013-14 के दौरान राष्ट्रीय तेल कंपनियों ने 67,021 करोड़ रुपए प्रदान किया, जबकि कुल कम वसूली 1,39,869 करोड़ रुपए थी।


परिवारिक ईंधन अर्थात् पीडीएस किरोसीन (सार्वजनिक वितरण के अंतर्गत) और घरेलू एलपीजी के महत्व को देखते हुए, इसकी 2002 की स्कीम के तहत इन उत्पादों के लिए सब्सिडियां दी गईं (ब.अ. 2014-15 में 2930 करोड़ रुपए)। इसके अतिरिक्त दूर दराज के क्षेत्रों में ईंधन ले जाने के लिए सहायता भी दी गई (ब.अ. 2014-15 में 23 करोड़ रुपए)।

स्रोत : पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय।

भी शामिल है जो खाद्य सब्सिडी के यौक्तिकीकरण का मार्ग प्रशस्त करेगा।

ब्याज अदायगियां

2.21 राजकोषीय घाटे के परिवर्तनीय प्रवाह होते हैं, ब्याज अदायगियों को आकर्षित करते हुए इन्हें प्रत्येक वर्ष के विविध स्टाक (सरकारी ऋण और देनदारियों) में जोड़ा जाता है। वर्ष 2014-15 के बजट अनुमान में 4.27 लाख करोड़ रुपए की ब्याज देनदारिया थीं, जो आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय का 38.31 प्रतिशत तथा सकल घरेलू उत्पाद का 3.3 प्रतिशत बैठती है। सकल घरेलू उत्पाद के भाग के रूप में, ब्याज देनदारियां एफ आर बी एम की अवधि के बाद कम होती जा रही थी। तथापि, वैश्विक संकट के प्रतिकूल असर को कम करने के लिए राजकोषीय विस्तार नीति के कारण, संकट के बाद की स्थिति में किसी तरह स.घ.उ. के अनुपात में, ब्याज देनदारियों में कुछ बढ़ोतरी हुई (चित्र 2.6)। उधार की औसत लागत, जो वर्ष 2012-13 (सारणी 2.7) में 7.7 प्रतिशत थी, की तुलना में वर्ष 2014-15 (ब.अ.) में 8.4 प्रतिशत हो गई है।



टिप्पणी : एनपीआरई-आयोजना भिन्न राजस्व व्यय

सारणी 2.7 : उधार की औसत लागत

वर्ष	ओआईएल	आईआईएल	एसीबी
	करोड़ रुपए में		
2009-10	2874683	192567	7.50
2010-11	3212521	212707	7.40
2011-12	3765153	251634	7.83
2012-13	4295575	290278	7.71
2013-14(स.अ.)	4782585	355438	8.27
2014-15(ब.अ.)	5387174	402143	8.41

स्रोत : केन्द्रीय बजट दस्तावेज

ओआईएल=बकाया आंतरिक देनदारियां

आईआईएल=आन्तरिक देनदारियों पर ब्याज

एसीबी= उधार की औसत लागत

वर्ष 2014-15 के बजट अनुमान की तुलना में वर्ष 2014-15 के अनंतिम परिणाम

2.22 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीजीए) ने 30 जनवरी, 2015 को अप्रैल-दिसम्बर 2014-15 के अनंतिम परिणाम जारी कर दिए। राजकोषीय घाटा 5.32 लाख करोड़ रुपए था जो बजट अनुमान का 100.2 प्रतिशत है और विगत पांच वर्ष के औसतन 77.7 प्रतिशत (सारणी 2.8) की अपेक्षा अधिक है।

2.23 दिसम्बर, 2014 तक जीटीआर ने 7.0 प्रतिशत की वृद्धि दर्शायी जो ब.अ. में परिकल्पित 17.7 प्रतिशत से बहुत कम है। बजट अनुमान के अनुपात के रूप में अप्रैल-दिसम्बर 2014 में संगृहीत प्रत्यक्ष कर व्यापक तौर पर उन्हीं स्तर पर हैं जैसेकि पिछले वर्ष की तदनु रूप अवधि में एकत्रित किए गए थे तथा अगर पिछले वर्ष की बात करें तो समग्र संग्रहण संशोधित अनुमान के काफी निकट था (बजट अनुमान की तुलना में 30,568 करोड़ रुपए ही कम), इससे यह स्पष्ट होता है कि यह इस वर्ष भी हासिल किया जा सकता है। वर्ष 2014-15 (अप्रैल-दिसम्बर) में अप्रत्यक्ष कर में 6.2 प्रतिशत की वृद्धि वर्ष 2013-14 के अनंतिम आंकड़ों मुकाबले 25.8 प्रतिशत से कहीं कम है। बजट अनुमान के अनुपात में संगृहीत कर-भिन्न राजस्व के सन्दर्भ में, अप्रैल-दिसम्बर 2014 में विगत वर्ष की तदनु रूप अवधि की तुलना में 69.7 प्रतिशत पद अधिक है। तथापि, बजट अनुमान में 12.9 प्रतिशत की तुलना में पिछले वर्ष की तदनु रूप अवधि की तुलना में अप्रैल-दिसम्बर 2014 में व्यय में 6.2 प्रतिशत की वृद्धि से चालू वित्त वर्ष की पहली तीन तिमाहियों में राजकोषीय घाटे को कम करने में मदद मिली। इससे स्पष्ट है कि राजकोषीय स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए इस वर्ष भी व्यय पर कतिपय दबाव बनाए जाने हैं। बड़े पैमाने पर व्यय को कम किए जाने के लिए सरकार ने, हालांकि, राजस्व में कतिपय बढ़ोतरी और इसे जुटाने के प्रयास किए हैं।

2.24 राजस्व को बढ़ाने के लिए किए गए कतिपय उपायों में तेल की वैश्विक कीमतों के कम होने पर पेट्रोल तथा डीजल पर उत्पाद शुल्क बढ़ाना शामिल हैं। नवम्बर 2014 से चार बार उत्पाद शुल्क बढ़ाने से इस वित्त वर्ष के राजस्व में 20,250 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने की संभावना है। हाल ही में सरकार ने चार कंपनियों में शेयरधारिता की बिक्री की घोषणा की थी जिसमें कोल इण्डिया में 10 प्रतिशत शेयरधारिता की बिक्री करना भी शामिल है और जिससे वर्तमान बाजार मूल्य पर सरकार को 22,557 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई है। सरकार को इस

सारणी 2.8 : वर्ष 2014-15 के अंतिम परिणाम (दिसम्बर 2014 तक)

	ब.अ. (करोड़ रुपए)	अप्रैल - दिसम्बर					
		वास्तविक सं. (करोड़ रुपए)		संबंधित बजट अनुमान का प्रतिशत		पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत बदलाव	
		2014-15	2013-14	2014-15	2013-14	2014-15	2013-14
1. राजस्व प्राप्ति	1189763	633933	693773	60.0	58.3	11.1	9.4
सकल कर राजस्व	1364524	743709	795686	60.2	58.3	9.2	7.0
कर (केन्द्र को निवल)	977258	517661	545714	58.6	55.8	6.9	5.4
कर-भिन्न राजस्व	212505	116272	148059	67.5	69.7	34.6	27.3
2. पूंजी प्राप्ति	605129	529858	542615	87.0	89.7	26.0	2.4
ऋण की वसूली	10527	8038	8282	75.4	78.7	4.3	3.0
अन्य प्राप्ति	63425	5430	1952	9.7	3.1	-33.6	-64.1
3. कुल प्राप्ति	1794892	1163791	1236388	69.9	68.9	17.4	6.2
4. आयोजना-भिन्न व्यय	1219892	812528	883757	73.2	72.4	16.9	8.8
(क) राजस्व खाता	1114609	731159	813270	73.6	73.0	16.9	11.2
ब्याज देनदारियां	427011	248464	275220	67.0	64.5	23.0	10.8
प्रमुख सब्सिडियां	251397	188899	212418	85.5	84.5	13.2	12.5
पेंशन	81983	53890	68104	76.2	83.1	20.2	26.4
(ख) पूंजी खाता	105283	81369	70487	69.5	67.0	16.9	-13.4
5. आयोजना व्यय	575000	351263	352631	63.3	61.3	18.7	0.4
(क) राजस्व खाता	453503	274016	282278	61.8	62.2	12.8	3.0
(ख) पूंजी खाता	121497	77247	70353	68.9	57.9	46.0	-8.9
6. कुल व्यय	1794892	1163791	1236388	69.9	68.9	17.4	6.2
(क) राजस्व व्यय	1568112	1005175	1095548	70.0	69.9	15.7	9.0
(ख) पूंजी व्यय	226780	158616	140840	69.2	62.1	29.4	-11.2
7. राजस्व घाटा	378349	371242	401775	97.7	106.2	24.6	8.2
8. प्रभावी राजस्व घाटा	210245	275183	303912	134.1	144.6	23.0	10.4
9. राजकोषीय घाटा	531177	516390	532381	95.2	100.2	27.6	3.1
10. प्राथमिक घाटा	104166	267926	257161	155.9	246.9	32.2	-4.0

स्रोत : सीजीए मासिक खाता तथा बजट दस्तावेज

वित्त वर्ष में मार्च तक कोयला ब्लॉक की नीलामी तथा स्पेक्ट्रम की बिक्री से राजस्व में तेजी से बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। व्यय प्रबंधन आयोग की आगामी सिफारिशें व्यय को फिर से प्राथमिकता देने तथा व्यय की निःसरण को कम करने में सहायक होगी।

सरकारी ऋण

2.25 ऋण नीति में न्यूनतम संभावित लागत पर दीर्घकालीन और संपोषणीय ऋण संरचना को बनाए रखने पर जोर दिया जाता है और यह बाजारोन्मुखी सक्रिय ऋण प्रबंधन को उत्तरोत्तर सहायता प्रदान कर रही है। ऋण नीति के उद्देश्यों के

अनुसरण के लिए सरकार ने प्रतिभूतियों में नकदी बढ़ाने और आवर्ती जोखिम घटाने के साथ-साथ नकद अधिशेष का उपयोग करने के उद्देश्य से 2013-14 में प्रतिभूतियों का वापसी क्रय और अंतरण किया। केन्द्र सरकार की कुल बकाया देनदारियां 55.87 लाख रुपए की थी जो जीडीपी का 49.2 प्रतिशत बैठती है जिसमें 39 प्रतिशत सरकारी ऋण तथा मार्च 2014 के अंत तक (सारणी 2.9) 10.2 प्रतिशत अन्य देनदारियां शामिल हैं। कुल सरकारी ऋण में से आंतरिक ऋण 95.9 प्रतिशत बैठता है तथा शेष ऋण विदेशी ऋण (खाता मूल्य पर) था। ब.अ. 2014-15 में कुल बकाया देनदारियों के 62.22 लाख करोड़ रु. होने का अनुमान है।

सारणी 2.9 : स.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में केन्द्र सरकार की बकाया देनदारियां (मार्चात)

	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14(सं.अ.)	2014-15 (ब.अ.)
1. आंतरिक देयताएं (क) + (ख)	52.4	48.6	48.2	48.4	47.6	46.9
क) आंतरिक ऋण	35.9	34.3	35.9	37.2	37.4	37.1
i. बाजार उधार	27.0	26.6	27.9	29.5	30.3	30.4
ii. अन्य	9.0	7.6	7.9	7.7	7.1	6.7
ख अन्य आंतरिक देयताएं	16.5	14.3	12.4	11.2	10.2	9.8
2. विदेशी ऋण#	2.1	2.0	1.9	1.8	1.6	1.5
3. कुल बकाया देयताएं	54.5	50.6	50.1	50.1	49.2	48.3

स्रोत : केन्द्रीय बजट दस्तावेज

टिप्पणी : #विदेशी ऋण के आंकड़े केन्द्र सरकार द्वारा विदेशी स्रोतों से लिए गए उधारों के द्योतक हैं और विगत में प्रचलित विनिमय दरों पर आधारित हैं।

वर्तमान बाजार मूल्यों पर स.घ.उ. अनुपात सीएसओ के राष्ट्रीय लेखा 2004-05 श्रृंखला पर आधारित है।

केन्द्रीय सरकार के विभागीय उद्यमों का कार्य-निष्पादन

डाक विभाग

2.26 2013-14 में डाक विभाग की सकल प्राप्तियां ₹ 10,730 करोड़ पर रहीं। वर्ष के दौरान सकल और निवल कार्य-चालन व्यय क्रमशः ₹ 16,797 करोड़ और ₹ 16,204 करोड़ था जो ₹ 5473 करोड़ घाटे में परिणत हुआ है। 2014-15 स.अ. के अनुसार, सकल प्राप्तियों के ₹ 10,902 करोड़ तक होने की बजटीय व्यवस्था की गई है, जिसमें सकल और निवल कार्य-चालन व्ययों के क्रमशः ₹ 18490 करोड़ तथा ₹ 17,846 करोड़ होने का अनुमान है। ₹ 6,944 करोड़ का घाटा अनुमानित किया गया है।

रेलवे

2.27 भारतीय रेल एक प्रभावशाली विविध रूपी यातायात प्रणाली का हिस्सा बनने के लिए धीरे-धीरे प्रगतिशील पथ पर आगे बढ़ रहा है जिससे वातावरण-अनुकूल तथा आर्थिक रूप से कुशल परिवहन सुविधा सुनिश्चित की जा सके। वर्ष 2013-14 के दौरान 93,906 करोड़ रुपए के माल ढुलाई अर्जन ने वर्ष 2012-13 के बाद 10.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। वर्ष 2013-14 के दौरान यात्री अर्जन (अन्य कोचिंग अर्जन सहित) 17.0 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए 40,211 करोड़ रुपए रहे। वर्ष 2013-14 में रेलवे की सकल राजस्व प्राप्तियां वर्ष 2012-13 में 1.24 लाख करोड़ की तुलना में 1.39 लाख करोड़ ₹ थीं।

वर्ष 2014-15 में सकल यातायात प्राप्तियों का बजट अनुमान तथा कुल कार्यचालन व्यय 1.60 लाख करोड़ तथा 14.80

लाख करोड़ रुपए था। रेलवे के संचालन अनुपात जो 2013-14 में 93.6 प्रतिशत था, वर्ष 2014-15 (बजट अनुमान) में 92.5 प्रतिशत का सुधार परिकल्पित किया गया। कार्यशील पूंजी और पूंजी निधि से निवेश के अनुपात के रूप में निवल राजस्व जो 2013-14 में 5.6 प्रतिशत के स्तर पर था, के 2014-15 के दौरान बढ़कर 6.3 प्रतिशत होने का अनुमान है।

राज्यों का राजकोषीय निष्पादन

2.28 हालिया वर्षों में हमारे स्वयं के कर राजस्व के साथ-साथ केन्द्र से प्राप्त वर्तमान अंतरण दोनों में हुई उल्लेखनीय वृद्धि के साथ राज्यों के राजकोषीय समेकन में मुख्यतः राजस्व प्रधानता थी जो बाद में 13वें वित्त आयोग की अनुशंसित बढ़ोतरी में प्रतिबिंबित हुई। हालांकि जहां वर्ष 2013-14 में राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति में विकृत स्थिति दिखी वहीं वर्ष 2014-15 के बजट में सुधार दिखा। वर्ष 2013-14 (सं.अ.) के दौरान स.घ.उ. के अनुपात के रूप में, राजस्व अधिशेष पिछले वर्ष के 0.2 प्रतिशत की तुलना में नगण्य था। वर्ष 2013-14 (स.अ.) के दौरान पूंजी परिव्यय-स.घ.उ. अनुपात, व्यय की गुणवत्ता में सुधार का संकेत देते हुए, पिछले वर्ष के मुकाबले मामूली सा 0.4 प्रतिशत बढ़ा। वर्ष 2014-15 में, समेकित राजस्व अधिशेष के स.घ.उ. के 0.4 प्रतिशत तक बढ़ने का पूर्वानुमान है। स.घ.उ. के अनुपात में, सकल राजकोषीय घाटा तथा प्राथमिक घाटा, राज्यों द्वारा किए गए राजकोषीय समेकन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2013-14 (स.अ.) में 2.4 प्रतिशत तथा 0.9 प्रतिशत से घटाकर वर्ष 2014-15 में क्रमशः 2.3 प्रतिशत तथा 0.8 प्रतिशत किए

² 26 राज्य सरकारों के बजट पर आधारित, जिनमें से पांच लेखानुदान पर आधारित है।

जाने की बजटीय व्यवस्था है। वर्ष 2014-15 में जीएफडी-जीडीपी अनुपात में अनुमानित कमी मुख्यतः केन्द्र द्वारा किए गए चालू अंतरणों के परिणामस्वरूप राजस्व प्राप्तियों में हुई वृद्धि के कारण है। यह व्यय संरचना दर्शाती है कि प्रतिबद्ध व्यय-स.घ.उ. अनुपात (इसमें ब्याज देनदारियां, प्रशासनिक सेवाएं तथा पेंशन शामिल हैं) वर्ष 2014-15 (ब.अ.) के दौरान व्यापक रूप से अपरिवर्तनीय रहेंगीं, जबकि स.घ.उ. के अनुपात में समग्र व्यय को बढ़ाने की बजटीय व्यवस्था है।

समेकित सामान्य सरकार

2.29 केन्द्र का राजकोषीय घाटा 2013-14 के बजट अनुमान में स.घ.उ. का 4.8 प्रतिशत अनुमानित किया गया था जो 2013-14 के संशोधित अनुमान के अनुसार संशोधित होकर 4.6 प्रतिशत हो गया था। वर्ष 2013-14 के संशोधित अनुमान में स.घ.उ. के 2.4 प्रतिशत पर, राज्यों के राजकोषीय घाटे के साथ समेकित सामान्य सरकार (केन्द्र और राज्य दोनों को मिलाकर) का राजकोषीय घाटा वर्ष 2013-14 (सं.अ.) में स.घ.उ. का 7.0 प्रतिशत था और 2014-15 के बजट अनुमान में इसके स.घ.उ. के 6.4 प्रतिशत कम होने का अनुमान है।

संभावनाएं

2.30 घरेलू चुनौतियों तथा बाह्य असुरक्षाओं के बावजूद, सरकार ने वर्ष 2013-14 में राजकोषीय समेकन का अनुसरण

किया। विनिवेश में विलंब तथा राजस्व में कम वृद्धि के बावजूद वर्ष 2014-15 में 4.1 प्रतिशत के राजकोषीय घाटे के लक्ष्य हासिल होते प्रतीत होते हैं। इस वर्ष के लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार को व्यय में कतिपय कमी लानी होगी। फिर भी, तेल की वैश्विक कीमतों में गिरावट के साथ डीजल की कीमतों को नियंत्रित करने तथा बैंक खातों में घरेलू एलपीजी सब्सिडियों के प्रत्यक्ष अंतरण से ईंधन सब्सिडी बिल कम होने की उम्मीद है। पेट्रोल और डीजल के उत्पाद शुल्क में बढ़ोतरी तथा कई विनिवेश प्रस्तावों के तैयार होने से राजस्व बढ़ने की उम्मीद है और आगे बढ़े राजस्व सृजन में बढ़ोतरी करना एक प्राथमिकता है। कुछ सीमा तक अर्थव्यवस्था की विकास दर बढ़ने से इससे मदद मिलेगी। उपयुक्त ढंग से तैयार की गई वस्तु एवं सेवा कर के कार्यान्वयन तथा अन्य कर सुधार भी इस संबंध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

सब्सिडी व्यवस्था की पूरी तरह जांच-पड़ताल करना जिससे ईंधन (एलपीजी तथा केरोसिन) सब्सिडी और अधिक कम होनी चाहिए। उर्वरक सब्सिडियों के विषय को समझने तथा खाद्य सब्सिडी के लिए आधार आधारित प्रत्येक कर अंतरण की ओर बढ़ने से व्यय को युक्तिसंगत बनाने का रास्ता खुलेगा। राजकोषीय समेकन आवश्यक है लेकिन समेकन की गुणवत्ता इसे सम्पोषणीय बनाने के लिए अत्यावश्यक है। इस मुकाम को हासिल करने के लिए स्पष्ट राजस्व व्यय तथा घाटे के लक्ष्यों के साथ मध्य से दीर्घावधिक राजकोषीय नीति संरचना को अस्तित्व में लाया जाना आवश्यक होगा।